FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

.... इन्द्राराम वगैरा .... बनाम .... तहसीलदार बायतु ....

किस्म मुकदमा .... राजस्व आवेदन 131, 136 .... नं .... 125/2022 .... सन् .... 2022 ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/03/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री .... कुम्भसिंह चौधरी .... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा .... 131, 136 .... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक .... 19/04/2022 .... को पेश हो। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली नियत दिनांक को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
19/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक - 18/05/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या - 1 तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक - 03/08/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

03/08/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 04/10/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर

04/10/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/10/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

18/10/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट व मूल आवेदन पर प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट से सहमत है तहसीलदार बायतु द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट में बताया की पक्षकारों के मध्य मौके पर कब्जे काश्त अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना आवश्यक है जिस हेतु सभी हितबन्ध पक्षकार सहमत हो लिहाजा प्रार्थी का तरमीम दुरस्ती आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

...यालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः– जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या–125 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. इन्द्राराम पुत्र शंकराराम 2. निम्बाराम पुत्र शंकराराम 3. लिछमणाराम पुत्र शंकराराम 4. सताराम पुत्र जुगताराम 5. खरथाराम पुत्र नगाराम 6. चेतनराम पुत्र नगाराम 7. जमना पत्नी पैलादराम 8. टीकमचन्द पुत्र पैलादराम 9. पपूराम पुत्र पैलादराम 10. पुरखाराम पुत्र पैलादराम 11. वरजांगराम पुत्र नगाराम जाति मेगवाल निवासी करनपुर, चौखला, तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार बायतु

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

आदेश दिनांकः– 18/10/2022

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री कुम्भसिंह चौधरी एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का खातेदारी खेत मौजा करनपुर पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 178, 237 / 178, 267 / 186, 268 / 192 रकबा क्रमशः 0.8009, 0.7281, 1.6989, 9.4896 हैक्टेयर, प्रार्थीगण संख्या 5 से 11 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 186, 192 रकबा क्रमशः 6.9574, 5.7601 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण की भूमि मूल खसरा नम्बर 178, 186, 192, 237 / 178 का भाग था। बाद में प्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान में बंटवाड़ा करवाया गया था जिस पर मूल खसरा नम्बर 178, 186, 192, 237 / 178 का विभाजन होकर नये खसरा नम्बर कायम हुए लेकिन लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व सहमति बंटवाड़ा के अनुसार नहीं करके गलत तरमीम कर दी गई। जिसके कारण लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में अन्तर है। प्रार्थीगण द्वारा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्ती हेतु यह आवेदन पेश किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, तहसीलदार, बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार, बायतु द्वारा मौका रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान नक्शा लट्ठा ट्रेस व भू–नक्शा पर उक्त खसरा नम्बर की तरमीम मौके पर स्थित कब्जा काश्त अनुसार नहीं की गई है।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

.दार बायतु द्वारा खसरा नम्बर 178, 237/178, 267/186, 268/192, 186, 192 की तरमीम ा रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' व वर्तमान में कब्जा अनुसार शुद्व करने की अनुशंषा की गई है।

हमने राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मौजा करनपुर पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 178, 237/178, 267/186, 268/192, 186, 192 रकबा क्रमशः 0.8009, 0.7281, 1.6989, 9.4896, 6.9574, 5.7601 हैक्टेयर की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बायतु द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' व वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्व करने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु आदेशानुसार तरमीम दुरस्त करें।

आदेश आज दिनांक 18/10/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला – बाड़मेर